

22 कृषि आय Agriculture Income

कृषि आय से आशय :-

धारा 2(1A) भारत में स्थित भूमि पर कृषि कार्य करने से होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। कृषि आय में शामिल होगी – कृषि भूमि को कृषि कार्य हेतु, दूसरे व्यक्ति को किराया से देने से आय, कृषि उपज को बेचने के लिए विक्रय योग्य बनाने से आय, कृषक द्वारा अपनी उपज को बेचने से आय, कृषि भूमि पर या उससे लगा हुआ मकान को कृषि कार्य हेतु किराया पर दिया जाता है तो किराये के रूप में प्राप्त आय।

कृषि आय पर कर :-

धारा 10(1) के अनुसार कृषि से होने वाली आय पूर्णतः कर मुक्त है। परन्तु गैर कृषि उद्देश्यों से प्राप्त आय पर कर की गणना करने के लिये (For Slab Purpose) कृषि आय को, गैर कृषि आय (Total Income) में जोड़ते हैं, यदि शुद्ध कृषि आय 5,000 रु. से अधिक हो, तथा गैर कृषि आय, आयकर से छूट की मौलिक सीमा 2.5 लाख रु. से अधिक हो।

उदाहरण 4 : यदि मोहन लाल को वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर कृषि स्रोतों (व्यापार) से प्राप्त कुल करयोग्य आय 5,00,000 रु. हो तथा कृषि से शुद्ध आय 50,000 रु. हो तथा कर बचाने की किसी योजना में कोई निवेश नहीं किया है, तो शुद्ध भुगतान योग्य कर कितना होगा ?

हल: 1. सर्वप्रथम गैर कृषि स्रोतों (व्यापार) से आय में, कृषि आय का संयोजन कर, कुल कर देयता की गणना की गणना निम्नानुसार करें :

$$\text{कुल आय} = \text{गैर कृषि स्रोतों से आय } 5,00,000 + \text{कृषि से आय } 50,000 = 5,50,000$$

$$\text{कृषि + गैर कृषि आय पर देय आयकर (Tax Liability on Total Income Incl. Agri Income)} = 35,000$$

2. अब केवल कृषि आय पर कर देयता की गणना करने हेतु, कृषि आय को, करमुक्त आय सीमा में जोड़कर आयकर की गणना निम्नानुसार करें :

$$\text{कुल कृषि आय} = \text{करमुक्त सीमा } 2,50,000 + \text{कृषि आय } 50,000 = 3,00,000$$

$$\text{केवल कृषि आय पर आयकर (Tax Liability on only Agriculture Income)} = 5,000$$

3. चूंकि कृषि आय पूर्णतः करमुक्त है, अतः (गैर कृषि + कृषि) आय पर देय आयकर में से, केवल कृषि आय पर देय आयकर को निम्नानुसार घटाएँ :

$$\text{कुल भुगतान योग्य कर (कृषि + गैर कृषि आय पर देय आयकर)} - \text{केवल कृषि आय पर देय आयकर} = 35,000 - 5,000 = 30,000$$

$$\text{कुल भुगतान योग्य कर} = 30,000 \text{ रु. उत्तर}$$

निष्कर्ष :- इस प्रकार यदि कृषि आय को शामिल किए बिना, केवल गैर कृषि स्रोतों (व्यापार) से आय 5,00,000 रु. पर कर की गणना करें तो आयकर केवल 25,000 देय होता है। परन्तु कृषि आय जोड़ने से Slab परिवर्तन के कारण कर देयता 30,000 रु. हो जाती है। इस प्रकार कृषि आय पूर्णतः कर मुक्त होने के बावजूद, आयकर के Slab अलग अलग होने के कारण आयकर के आंकलन को प्रभावित करती है।

